न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद, जिला बारां राज.

प्रकरण संख्या 29/22 दायरा दिनांक 24.06.2022

पीठासीन अधिकारी – श्री मुकेश चन्द्र मीना (आर.ए.एस.)

1. कृपान पुत्र शंकरलाल जाति अहीर निवासी हनोतिया तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान
2. बिन्दी पत्नि कृपान जाति अहीर निवासी हनोतिया तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान – वादीगण

बनाम

1. रघुवीर पुत्र शंकरलाल जाति अहीर निवासी हनोतिया तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान
2. जालम पुत्र शंकरलाल जाति अहीर निवासी हनोतिया तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान
3. बुद्वि पत्नि रघुवीर जाति अहीर निवासी हनोतिया तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शाहाबाद जिला बारां राजस्थान

– प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.एक्ट 1955

अंतिम निर्णय दिनांक– 11.07.2024

उपस्थित – वादीगण की ओर से – श्री अरविन्द शर्मा एडवोकेट

प्रतिवादीगण की ओर से – एकपक्षीय

इस न्यायालय के प्राथमिक निर्णय व डिकी दिनांक 19.04.2024 से वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी खसरा संख्या 213/2 रकबा 0.15 बीघा ग्राम हनोतिया तहसील शाहावाद में से वादी हिस्सा 2/5 का विभाजन रोड अटैच फ्रंट भाग को ध्यान में रखते हुये अच्छी में से अच्छी तथा बुरी में से बुरी के सिद्वान्त पर किया जाकर तहसीलदार शाहावाद को विभाजन प्रस्ताव पेश करने हेतु कहा गया था, जिसकी पालना में तहसीलदार शाहावाद द्वारा विभाजन प्रस्ताव पेश किया, विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है और विभाजन प्रस्ताव अनुसार प्रथम खाता कृपान पुत्र शंकरलाल विन्दी पत्नि कृपान जाति अहीर सा. देह ख.नं. 213/2 रकबा 0.06 बीघा पश्चिमी किस्म बा.च. लगान 0.09 तथा द्वितीय खाता रघुवीर जालम पुत्र शंकरलाल बुद्वि पत्नि रघुवीर जाति अहीर सा. देह ख.नं. 213/2 रकबा 0.09 बीघा पूर्वी किस्म बा.च. लगान 0.13 दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं तथा संलग्न विभाजन प्रस्ताव नजरी नक्शा अनुसार नक्शा तरमीम करने बावत आदेश दिये जाते हैं। तद्नुसार अंतिम डिकी पर्चा जारी हो। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 11.07.2024 को सरे, इजलास सुनाया गया। प्रकरण पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

11.07.2024

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Mukesh Chandra Meena
Date: 2024.08.28 18:16:05 IST
Reason: SelfAttested

CamScanner